File No. HS2-HGD/9/2022-XX-2-Home Department (Computer No. 42793)

2023

/2023

। संख्या–91743/XX–2/4/2022–2(10)/2022

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

महोदय,

कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 17 जनवरी, 2023

विषय– होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी के दौरान घायल/बीमार होने पर सीधे चिकित्सालय में भर्ती होने पर उक्त अवधि में ड्यूटी भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक : सीजी–60/हो.गा./2008/4072, दिनांक 11–11–2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी के दौरान घायल/बीमार होने पर सीधे चिकित्सालय में भर्ती होने से अधिकतम 06 माह की अवधि तक का ड्यूटी भत्ता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी के दौरान घायल/बीमार होने के परिणामस्वरूप अस्पताल में भर्ती होने तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने तक की अवधि (जो पूर्ण सेवाकाल में 6 माह से अधिक नहीं होगी) पर ड्यूटी पर मानते हुए ड्यूटी भत्ता अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– इस पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–107–होमगार्ड्स–03–सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 02–मजदूरी के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Radha Raturi
Date: 17-01-2023 13:06:39

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– /XX–2/4/2022–2(10)/2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3–मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4–समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तराखण्ड।
5–वित्त अनुभाग–1, 5 व 7
6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
अपर सचिव